

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1672/2025

राजेन्द्र कुमार

—अपीलार्थी

## बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् अलवर।
4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.01.2025

आदेश की दिनांक : 03.03.2025

## उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, अलवर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड में रिक्त पद पर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 289(iii) का उल्लंघन करते हुए जिला संस्थापन समिति की सिफारिश पर नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्य करने दिया जावे।
3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, अलवर में

कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति नीमराना, जिला कोटपूतली-बहरोड में रिक्त पद पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया गया है। यह स्थानान्तरण प्रशासन एवं स्थापना समिति, पंचायत समिति झुंझुनू की बैठक दिनांक 15.01.2025 में लिये गये निर्णय की पालना में जारी किया गया है। अतः आलोच्य आदेश में कोई नियमों का उल्लंघन या दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। अपीलार्थी को उसी जिले में पदस्थापन किया गया। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। इस प्रकार आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार नहीं है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा )  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)